न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 68 / 2025 — **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 135**

दायर दिनांक :– 27.03.2025 — **निर्णय दिनांक :– 23.06.2025**

1. प्रकाश कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू तहसील बाप जिला फलोदी
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण–

बनाम

1. मनोहरकंवर पत्नी अचलसिंह जाति राजपूत नि. देवराजगढ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
2. पपू पत्नी घेवरराम जाति विश्नोई निवासी पली तहसील लोहावट जिला फलोदी
3. रिड़मल पुत्र सूरजमल जाति विश्नोई निवासी पली तहसील लोहावट जिला फलोदी
4. अमतू पत्नी समरूखां उर्फ समरदीन जाति मुसलमान निवासी दीपनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
5. अशरफ पुत्र समरूखां उर्फ समरदीन जाति मुसलमान निवासी दीपनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
6. मोबीन पुत्र रहमान खां जाति मुसलमान नि. दीपनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
7. रूकसाना पुत्र समरूखां उर्फ समरदीन जाति मुसलमान निवासी दीपनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
8. शौकत पुत्र समरूखां उर्फ समरदीन जाति मुसलमान निवासी दीपनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
9. हसन पुत्र समरूखां उर्फ समरदीन जाति मुसलमान निवासी दीपनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
10. शाखा प्रबन्धक एच डी एफ सी बैंक शाखा फलोदी
11. शाखा प्रबन्ध आई.सी.आई.सी.आई. शाखा फलोदी
12. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप

अप्रार्थीगण–

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम दीपनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप

फलोदी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 191/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जमाबंदी व भू–नक्शा की वर्तमान प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त खसरान् के पैमाईश आवेदन पर उप तहसीलदार शेखासर द्वारा दिनांक 13.11.2024 को जारी आदेश क्रमांक 02 की पालना में दिनांक 19.11.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौका पर पंहुच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर प्रार्थीगण खातेदारान् के पड़ौसी खातेदारान् व मौतबीरान के समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 19.11.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरान् की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरान् की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ौसी खातेदारान् व्यवधान पैदा कर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबंदी, जाली नही कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 19.11.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने के कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दीपनगर पटवार शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 191/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 19.11.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। ग्राम दीपनगर पटवार शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 191/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उपरोक्त वर्णित खसरान् की पैमाईश फर्द दिनांक 19.11.2024

23/6/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम दीपसर पटवार शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 181/1 रकबा 8.0847 हैक्टेयर भूमि की सभी खातेदारों की उपस्थिति में पैमाईश फर्द दिनांक 18.11.2024 के अनुसार पत्थर गढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गढ़ी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/25

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

(... पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)